



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025

श्रावण 3, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नियुक्ति अनुभाग-4

संख्या 276/दो-4-2025-02-4003(002)/1-2025

लखनऊ, 25 जुलाई, 2025

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0-53

संविधान के अनुच्छेद 234 और अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परामर्श से उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली, 2001 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं;

उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा (षष्ठम् संशोधन) नियमावली, 2025

1-(एक) यह नियमावली उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा (षष्ठम् संशोधन) नियमावली, 2025 कही जायेगी।

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

(दो) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिशिष्ट दो में
संशोधन

2-उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली, 2001 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये
विद्यमान परिशिष्ट-दो के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये उपबन्ध रख दिये जायेंगे, अर्थात्:-

स्तम्भ-1
विद्यमान उपबन्ध
परिशिष्ट-दो
(नियम-19 देखें)

उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा की भर्ती के
लिये प्रतियोगिता परीक्षा के लिये पाठ्यक्रम :
परीक्षा में निम्नलिखित विषय
सम्मिलित होंगे:

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित उपबन्ध
परिशिष्ट-दो
(नियम-19 देखें)

उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में भर्ती के लिये
प्रतियोगिता परीक्षा के लिये पाठ्यक्रम :
परीक्षा में निम्नलिखित विषय
सम्मिलित होंगे और पाठ्यक्रम का भाग
रूप किसी भी अधिनियमिति में उसको
प्रतिस्थापित करने वाली अधिनियमितियाँ
सम्मिलित होंगी:

आज्ञा से,
एम0देवराज,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 276/Two-4-2025-02-4003(002)/1-2025, dated July 25, 2025:

No. 276/Two-4-2025-02-4003(002)/1-2025
Dated Lucknow, July 25, 2025

In exercise of the powers conferred by the Article 234 and the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor in consultation with the Uttar Pradesh Public Service Commission and the High Court of Judicature at Allahabad, is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Judicial Service Rules, 2001;

THE UTTAR PRADESH JUDICIAL SERVICE (SIXTH AMENDMENT)
RULES, 2025

Short title and commencement 1. (1) These rules may be called The Uttar Pradesh Judicial Service (Sixth Amendment) Rules, 2025.

Amendment in Appendix-II (2) They shall come into force at once.
2. In the Uttar Pradesh Judicial Service Rules, 2001, in existing Appendix-II set out in Column-1 below, the provision as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-1

Existing provision

Appendix-II

(See rule 19)

Syllabus for competitive examination for recruitment to the Uttar Pradesh Judicial Service:

COLUMN-2

Provisions as hereby substituted

Appendix-II

(See rule 19)

Syllabus for competitive examination for recruitment to the Uttar Pradesh Judicial Service:

<u>COLUMN-1</u>	<u>COLUMN-2</u>
<i>Existing provision</i>	<i>Provisions as hereby substituted</i>
Appendix-II (See rule 19)	Appendix-II (See rule 19)
The examination shall include the following subjects :	The examination shall include the following subjects and any enactment forming part of the syllabus shall include its <i>substituted</i> enactment:

By order,
M. DEVARAJ,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 122 राजपत्र-2025-(333)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 3 सा० नियुक्ति-2025-(334)-500 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।